

न्यायालय जिला न्यायाधीश चमोली।  
CNRNo.UKCL010001382023  
प्र०दीवानी अपील वाद संख्या-05 / 2023  
फते सिंह प्रति उत्तराखण्ड राज्य।

**14.08.2026**

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नेगी उपस्थित।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) श्री मनोज भट्ट उपस्थित।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 48घ पेश कर कथन किया गया कि बहस की तैयारी नहीं हो पायी है। बहस हेतु एक तिथि प्रदान करने की कृपा कर दी जाए, जिस पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) द्वारा अनापत्ति दर्शित करने से स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 14.09.2026 को पेश हो।

(बिन्ध्याचल सिंह)  
जिला न्यायाधीश,  
चमोली।